[राज्य सभा द्वारा 14 दिसंबर, 2016 को पारित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 1—सी

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

3. समता और अविभेद।
4. निःशक्त महिला और बालक।
5. सामुदायिक जीवन।
6. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।
7. दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।
8. संरक्षण और सुरक्षा।
9. गृह और कुटुंब।
10. प्रजनन अधिकार।
11. मतदान में पहुंच।
12. न्याय तक पहुंच।
13. विधिक हैसियत।
14. संरक्षकता के लिए उपबंध।
15. समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान।

अध्याय 3

शिक्षा

16. शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य।
17. सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।
18. प्रौढ़ शिक्षा।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

19. व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।

खंड

20. नियोजन में विभेद न करना।

21. समान अवसर नीति।

22. अभिलेखों का अनुरक्षण।

23. शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

24. सामाजिक सुरक्षा।

25. स्वास्थ्य देख-रेख।

26. बीमा स्कीमें।

27. पुनर्वास।

28. अनुसंधान और विकास।

28. संस्कृति और आमोद-प्रमोद।

30. खेलकूद गतिविधियां।

अध्याय 6

संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

31. संदर्भित निःशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा।

32. उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।

33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान।

34. आरक्षण।

35. प्राइवेट सैक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन।

36. विशेष रोजगार कार्यालय।

37. विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम।

अध्याय 7

अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

38. अधिक सहारे वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

39. जागरुकता अभियान।

40. पहुंच।

41. परिवहन तक पहुंच।

खंड

42. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

43. उपभोक्ता माल।

44. पहुंच के सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।

45. विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही।

46. सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।

47. मानव संसाधन विकास।

48. सामाजिक लेखापरीक्षा।

अध्याय 9

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

49. सक्षम प्राधिकारी।

50. रजिस्ट्रीकरण।

51. आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी।

52. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।

53. अपील।

54. अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।

55. रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का प्रमाणन

56. विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

57. प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।

58. प्रमाणन की प्रक्रिया।

59. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

अध्याय 11

निःशक्तता पर केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

60. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।

61. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

62. निरर्हता।

63. सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

64. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

खंड

65. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

66. निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड।

67. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

68. निरर्हता।

69. स्थानों का रिक्त होना।

70. राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

71. राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

72. निःशक्तता पर जिला स्तर समिति।

73. रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

अध्याय 12

निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

74. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति।

75. अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति। मुख्य आयुक्त के कृत्य।

76. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

77. अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना। मुख्य आयुक्त की शक्तियां।

78. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और कृत्यों का निर्वहन करना। मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।

79. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति।

80. रिक्तियों आदि से राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। राज्य आयुक्त के कृत्य।

81. राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रक्रिया। राज्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

82. राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद। राज्य आयुक्त की शक्तियां।

83. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण। राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।

अध्याय 13

विशेष न्यायालय

84. विशेष न्यायालय।

85. विशेष लोक अभियोजक।

अध्याय 14

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि

86. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि।

87. लेखा और लेखापरीक्षा।

खंड

अध्याय 15

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि

88. निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि।

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

89. अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

90. कंपनियों द्वारा अपराध।

91. संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड।

92. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड।

93. जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड।

94. समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन।

95. अनुकल्पी दंड।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

96. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

97. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

98. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

99. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

100. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

101. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

102. निरसन और व्यावृत्ति।

अनुसूची।

[राज्य सभा द्वारा 14 दिसंबर, 2016 को पारित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 1—सी

[दि राइट आफ पर्सन्स विद डिसबिलिटिज बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसंबर, 2006 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय, निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित करता है :—

(क) अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है;

(ख) अविभेद;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना;

(घ) मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण;

(ङ) अवसर की समानता;

(च) पहुंच;

(छ) पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता;

(ज) निःशक्त बालकों की क्षमता प्रस्तुत करने के लिए आदर और निःशक्त बालकों की पहचान परिरक्षित करने के लिए उनके अधिकार के लिए आदर;

और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और भारत ने, 1 अक्तूबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था;

और पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है;

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकारी" से, यथास्थिति, धारा 13 की उपधारा (3) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित या धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित सरकार" से,—

(i) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन या छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार; 2006 का 41

(ii) कोई राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन, या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में, राज्य सरकार;

अभिप्रेत है।

(ग) "रोध" से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है जिसमें संसूचनात्मक, सांस्कृतिक, पर्यावरणात्मक, संस्थात्मक, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अवसंरचनात्मक कारक सम्मिलित है जो समाज में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं;

(घ) "देख-रेख कर्ता" से माता-पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संदाय सहित या उसके बिना, किसी निःशक्त व्यक्ति को देख-रेख, सहारा या सहायता देता है;

(ङ) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारी" से धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "संसूचना" में संसूचना के उपाय और रूप विधान, भाषाएं, पाठ का प्रदर्श, उत्कीर्ण लेख, स्पर्शनीय संसूचना, संकेत, बड़ा मुद्रण, पंहुच योग्य मल्टीमीडिया, लिखित, श्रव्य, विडियो, दृश्य, प्रदर्शन संकेत भाषा, सरल भाषा, ह्यूमन-रीडर, संवर्धित तथा अनुकल्पी पद्धति और पहुंच योग्य जानकारी और संसूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 48 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) के संबंध में "विभेद" से निःशक्तता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बंधन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग के प्रयोजन या हासिल करने को प्रभाव देना या अकृत करना है और जिसके अंतर्गत विभेद के सभी प्रकार और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है।

(झ) "स्थापन" के अंतर्गत कोई सरकारी और प्राइवेट स्थापन भी हैं;

(ञ) "निधि" से धारा 86 के अधीन गठित राष्ट्रीय निधि अभिप्रेत है;

(ट) "सरकारी स्थापन" से केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और जिसमें किसी सरकार का विभाग भी सम्मिलित है;

2013 का 18

(ठ) "उच्च सहायता" से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो संदर्भित निःशक्त व्यक्ति द्वारा शिक्षा, नियोजन, कुटुम्ब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार को सम्मिलित करते हुए, दैनिक क्रियाकलाप, पहुंच के लिए स्वतंत्र और सूचित विनिश्चय लेने के लिए सुविधाएं तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए अपेक्षित हो सकेगी;

(ड) "सम्मिलित शिक्षा" से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेत है जिसमें निःशक्त और निःशक्तता रहित छात्र एक साथ विद्या ग्रहण करते हैं और ऐसे शिक्षण और विद्या की पद्धति जो विभिन्न प्रकार के निःशक्त छात्रों की विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित रूप से उपयुक्त की गई है;

(ढ) "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी सेवाएं और अभिनव परिवर्तन भी है जिसके अंतर्गत टेलीकॉम सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं, इलैक्ट्रॉनिक और मुद्रण सेवाएं, आंकिकी और वास्तविक सेवाएं भी हैं;

(ण) "संस्था" से निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रवेश, देख-रेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्व्यवस्थापन और किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए कोई संस्था अभिप्रेत है;

(त) "स्थानीय प्राधिकरण" से संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) और खंड (च) में यथापरिभाषित नगरपालिका या पंचायत, छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित छावनी बोर्ड और संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन नागरिक क्रियाकलापों का प्रशासन करने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

2006 का 41

(थ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(द) "संदर्भित निःशक्त व्यक्ति" से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिट निःशक्तता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहां

विनिर्दिष्ट निःशक्तता अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा निःशक्त व्यक्ति भी सम्मिलित है जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अध्युपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है;

(घ) "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसी दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक समान रूप एक–दूसरे को प्रभावित करने में समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है;

(न) "उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला निःशक्त व्यक्ति" से धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है;

(प) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "प्राइवेट स्थापन" से कोई कंपनी, फर्म, सहकारी या सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्थान, संगठन, संघ, कारखाना या ऐसा कोई स्थापन जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(ब) "सार्वजनिक भवन" से कोई सरकारी या निजी भवन जो अत्यधिक जनता द्वारा उपयोग किया जाता है या पहुंच है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक या व्यवसायिक प्रयोजन, कार्य स्थल, वाणिज्यिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक सुविधाएं, धार्मिक, सांस्कृतिक अवकाश या मनोरंजन क्रियाकलाप, चिकित्सीय या स्वास्थ्य सेवाएं, विधि परिवर्तन अभिकरण, सुधारात्मक या न्यायिक फोरम, रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म, सड़क परिवहन बस स्टेंड या टर्मिनल या जल मार्ग के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन भी हैं;

(भ) "सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं" जिसके अंतर्गत बृहत् स्तर पर जनता को सेवाएं प्रदान करने के सभी प्ररूप जिसके अंतर्गत आवास, शिक्षा या वृत्तिक प्रशिक्षण, नियोजन और वृत्तिक उन्नयन, विपणन केन्द्र या विक्रय स्थल, धार्मिक, सांस्कृतिक अवकाश या मनोरंजन, चिकित्सीय, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंककारी, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना, न्याय तक पहुंच, सार्वजनिक उपयोगिता, परिवहन भी हैं;

(म) "युक्तियुक्त आवासन" से निःशक्त व्यक्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों के उपभोग या उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट दशा में, अननुपात या असम्यक् बोझ अधिरोपित किए बिना, आवश्यक और समुचित उपांतरण तथा समायोजन अभिप्रेत हैं;

(य) "रजिस्ट्रीकृत संगठन" से संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत निःशक्त व्यक्तियों का कोई संगम या निःशक्त व्यक्ति संगठन, निःशक्त व्यक्तियों के माता-पिता का संगम, निःशक्त व्यक्तियों और कुटुंब के सदस्यों का संगम या स्वैच्छिक या गैर सरकारी या पूर्त संगठन या न्यास, सोसाइटी या निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली अलाभकारी कंपनी अभिप्रेत है;

(यक) "पुनर्वास" से निःशक्त व्यक्तियों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है;

(यख) "विशेष रोजगार कार्यालय" से—

(i) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो निःशक्त व्यक्तियों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे संदर्भित निःशक्त व्यक्ति के संबंध में जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी रिक्तियों के संबंध में जिन पर संदर्भित निःशक्त व्यक्ति, नियोजन चाहते हैं, नियुक्त किए जा सकेंगे;

रजिस्टर रखते हुए या अन्यथा सूचना एकत्रित करने या उसको प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है;

(यग) "विनिर्दिष्ट निःशक्तता" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निःशक्तताएं अभिप्रेत हैं;

(यघ) "राज्य आयोग" से इस अधिनियम की धारा 86 के अधीन गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग अभिप्रेत है;

'(म) "परिवहन प्रणाली" के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, अंतिम मील तक संबद्धता के लिए सड़क और गली अवसंरचना सह–अभिवहन प्रणाली भी है;'।

(यच) "सर्वव्यापी डिजाइन" से सभी लोगों द्वारा अनुकूलन या विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरणों, कार्यक्रमों की डिजाइन और सेवाएं अभिप्रेत हैं और जो निःशक्त व्यक्तियों के विशिष्ट समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित सहायक युक्तियों पर लागू होंगी।

अध्याय 2

अधिकार और हकदारियां

समता और अविभेद।

3. (1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्तताओं वाले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे ।

(2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके निःशक्त व्यक्ति की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

(3) किसी निःशक्त व्यक्ति के साथ निःशक्तता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुपातिक साधन है।

(4) कोई व्यक्ति केवल निःशक्तता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

(5) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने का उपाय करेगा।

निःशक्त महिला और बालक।

4. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि निःशक्त स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निःशक्त बालकों को उनको प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का किसी समान आधार पर अधिकार होगा और उनकी आयु और निःशक्तता को दृष्टि में रखते हुए उनको समुचित सहायता प्रदान की जाएगी।"।

सामुदायिक जीवन।

5. (1) निःशक्त व्यक्ति को समुदाय में जीने का अधिकार होगा।

(2) समुचित सरकार यह प्रयास करेगी कि निःशक्त व्यक्ति को,—

(क) किसी विशिष्ट जीवन व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जाए; और

(ख) किसी ऐसे गृह, आवास की श्रेणी और अन्य समुदाय सहारा सेवाओं में, जिनमें आयु और लिंग पर सम्यक् ध्यान देते हुए, जीवन को सहारे के लिए व्यक्तिगत आवश्यक सहायता सम्मिलित है, पहुंच प्रदान की गई है।

क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा।

6. (1) समुचित सरकार, निःशक्त व्यक्ति को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय या निम्निकृत व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) कोई निःशक्त व्यक्ति,—

(i) संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, उपायों और रूपविधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से गठित ऐसी निःशक्तता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उसमें से या तो निःशक्त व्यक्ति या धारा 2 के खंड (यक) से अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के सदस्य होंगे के बिना

किसी अनुसंधान के अधीन नहीं होगा।

दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण।

7. (1) समुचित सरकार, निःशक्त व्यक्तियों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह,—

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार प्रदान कराएगी;

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी;

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी; और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन, जो यह विश्वास करने का कारण रखता है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है तो वह ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में सूचना दे सकेगा।

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे निःशक्त व्यक्ति के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, और इसके अंतर्गत—

(क) यथास्थिति, पुलिस या निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास, या दोनों का, उपबंध करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो निःशक्त व्यक्ति के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने;

(ग) ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को भरणपोषण उपलब्ध कराने,

संबंधी कोई आदेश भी हैं।

(4) कोई पुलिस अधिकारी, निःशक्त व्यक्ति के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की सूचना देगा,—

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की;

(ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत करने के अधिकार की :

परंतु इस धारा की किसी बात का किसी भी रीति में अर्थ पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को, यथास्थिति, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रसर करेगा।

1860 का 45

संरक्षण और सुरक्षा।

8. (1) निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय अपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित हैं, में निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निःशक्त व्यक्तियों को शामिल करने का सुनिश्चय करेंगे।

2005 का 53

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले में निःशक्त व्यक्तियों के ब्यौरों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनःनिर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण ऐसे कार्यकलापों को निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से हाथ में लेंगे।

गृह और कुटुंब।

9. (1) किसी बालक को सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से निःशक्तता के आधार पर पृथक् नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अभिभावक निःशक्त बालक की देखभाल करने में असमर्थ हैं तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में, समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथास्थिति, समुचित सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।

प्रजनन अधिकार।

10. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चय करेगी कि निःशक्त व्यक्ति की, प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में उचित सूचना तक पहुंच हो।

(2) किसी निःशक्त व्यक्ति को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना अनुर्वरता होती है।

मतदान में पहुंच।

11. भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच में हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में होगी।

न्याय तक पहुंच।

12. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्तता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक निःशक्त व्यक्ति अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य होंगे।

(2) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे निःशक्त जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहारे की अपेक्षा है, समुचित समर्थकारी उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि निःशक्त

व्यक्ति किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या अन्य के साथ उन्हें प्रस्थापित सेवा तक पहुंच हों, युक्तियुक्त आवासन सहित उपबंध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी—

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उनके लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या अभिलेखों के किसी अन्य कार्यालय में, सुगम रूप विधान में, दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, एकत्र करना और दस्तावेजों तथा साक्ष्य को संदर्भित करना; और

(ग) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के साधनों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराना।

विधिक हैसियत।

13. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से स्वयं की या विरासती संपत्ति, स्थावर या जंगम, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय जमा के अन्य प्ररूपों तक पहुंच रखेंगे।

"(1क.) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निःशक्त व्यक्ति जीवन से सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी समान आधार पर विधिक क्षमताओं का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यताप्राप्त अधिकार रखें।"

(2) जब समर्थन प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी निःशक्त व्यक्ति के मध्य विशिष्टतया वित्तीय, सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसा समर्थन प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में निःशक्त व्यक्ति को समर्थन प्रदान करने से प्रविरत रहेगा :

परंतु हितों के विरोध की कोई अवधारणा इस आधार पर नहीं होगी कि समर्थन देने वाला व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से संबंधित है।

(3) कोई निःशक्त व्यक्ति किसी समर्थन व्यवस्था को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे का समर्थन प्राप्त कर सकेगा :

परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्त करना भविष्यलक्षी प्रकृति का होगा और उपर्युक्त समर्थन व्यवस्था के साथ निःशक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कोई अन्य पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे।

(4) निःशक्त व्यक्ति को समर्थन प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, मर्यादा और निजता का सम्मान करेगा।

संरक्षकता के लिए उपबंध।

14. (1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित या कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई निःशक्त व्यक्ति जिसे पर्याप्त और समुचित समर्थन प्रदान किया गया था किंतु वह विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से उसके निमित ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक का और समर्थन प्रदान किया जा सकेगा:

परंतु जिला न्यायालय या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे समर्थन की अपेक्षा रखने वाले निःशक्त व्यक्ति के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान कर सकेंगे या जब सीमित संरक्षकता बार–बार प्रदान की जानी है और दिए जाने वाले समर्थन के संबंध में विनिश्चय को समर्थन की प्रकृति और रीति का अवधारण करने के लिए न्यायालय या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सीमित संरक्षकता" से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और निःशक्त व्यक्ति के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है, सीमित संरक्षकता विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए होगी और निःशक्त व्यक्ति के इच्छानुसार कार्य करेगी।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही निःशक्त व्यक्तियों के लिए किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा।

(3) किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के अभिहित अधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई निःशक्त व्यक्ति ऐसे अपीलीय अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान।

15. (1) समुचित सरकार समुदाय को गतिशील करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी और उनकी विधिक हैसियत के प्रयोग में निःशक्त व्यक्तियों के समर्थन हेतु सामाजिक जागरुकता सृजित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले निःशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिक हैसियत के प्रयोग के लिए उपयुक्त समर्थनकारी व्यवस्थाएं स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और जिन्हें अधिक सहारे की आवश्यकता है और कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हो, कर सकेगा।

अध्याय 3

शिक्षा

शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य।

16. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित व मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएं निःशक्त बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी,—

(i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना;

(ii) भवन, परिसर बनाना और पहुंच वाली विभिन्न सुविधाएं;

(iii) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना;

(iv) पर्यावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के साथ सुसंगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, में व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यक समर्थन प्रदान करना;

(v) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना;

(vi) यथाशीघ्र बालकों में विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना;

(vii) प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी, लाभ प्राप्ति स्तरों के निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मानीटर करना;

(viii) निःशक्तताओं वाले बालकों और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना।

सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय।

17. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात् :—

(क) निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और जिन्हें वह पूरा कर सकेंगे उसके विस्तार तक स्कूल जाने वाले बालकों के लिए सर्वेक्षण संचालित करना:

परंतु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर संचालित होगा।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(ग) शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना जिसके अंतर्गत निःशक्त अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और जो बौद्धिक रूप में निःशक्त बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं;

(घ) सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर वृत्तिकों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना;

(ङ) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;

(च) वाक संप्रेषण या भाषा निःशक्तता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी स्वयं की वाणी में अनुपूरक उपयोग के लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;

(छ) संदर्भित निःशक्त छात्रों को पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक युक्तियां अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क;

(ज) संदर्भित निःशक्त छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) निःशक्तताओं वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपयुक्त उपांतरण करना;

(ञ) विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

(ट) कोई अन्य उपाय जो विहित किए जाएं।

प्रौढ़ शिक्षा।

18. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को संवर्धित संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए और उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

अध्याय 4

कौशल विकास और नियोजन

व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन।

19. (1) समुचित सरकार, जिसके अंतर्गत उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वतः नियोजन के लिए विशेषतया निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर ऋण और समर्थनकारी नियोजन सहित स्कीमों और कार्यक्रमों को विरचित करेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे–

(क) सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण, स्कीम और कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी निःशक्त व्यक्ति को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने को पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हों;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविधि निःशक्तता, स्वपरायणता के लिए अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो;

(घ) रियायती दर पर ऋण जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन; और

(च) कौशल प्रशिक्षण और स्वतः नियोजन जिसके अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति भी है, में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा का अनुरक्षण।

20. (1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा : नियोजन में विभेद न करना।

परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन निःशक्त कर्मचारियों को युक्तियुक्त और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण आवासन उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल निःशक्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन किसी कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई निःशक्तता प्राप्त करता है उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा :

परंतु यदि कोई कर्मचारी निःशक्तता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है, उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि निशःक्तता अर्जित करने के पश्चात् कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना उपयुक्त नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या तो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार निःशक्त कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।

21. (1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति के उपायों के ब्यौरे, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अधिसूचित करेगा। समान अवसर नीति।

(2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त का राज्य आयुक्त में उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

22. (1) प्रत्येक स्थापन उपलब्ध कराए गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा। अभिलेखों का अनुरक्षण।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले निःशक्त व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

23. (1) प्रत्येक सरकारी स्थापन धारा 20 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा। शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।

(2) धारा 19 के उपबंधों के अननुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।

(3) शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, और प्रत्येक शिकायत की इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।

(4) यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह निःशक्तता पर जिला स्तर समिति के पास जा सकेगा।

अध्याय 5

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

सामाजिक सुरक्षा।

24. (1) समुचित सरकार उसकी आर्थिक हैसियत की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थकारी बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर हेतु निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमों को विरचित करेंगे और कार्यक्रम का विकास करेंगे :

परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा।

(2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय निःशक्तता, की विविधता लिंग, आयु और सामाजिक — आर्थिक प्रास्थिति पर सम्यक विचार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी,—

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-रेख और परामर्श के निबंधनों में अच्छी जीवन शर्तों के साथ सामुदायिक केन्द्र;

(ख) व्यक्ति, जिसके अंतर्गत निःशक्त बालक भी हैं, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रय या जीवन निर्वाह के बिना हैं, के लिए सुविधाएं;

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और संघर्ष के क्षेत्र में उसके दौरान सहायता;

(घ) निःशक्त महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालकों के पालन-पोषण के लिए सहायता;

(ङ) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच;

(च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए, के साथ निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराना;

(छ) ऐसी आय की सीमा जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन;

(ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था;

(झ) उच्च समर्थकारी आवश्यकताओं के साथ निःशक्त व्यक्तियों के लिए देख-रेख प्रदाता का भत्ता;

(ञ) ऐसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या कोई अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।

स्वास्थ्य देख-रेख।

25. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी,—

(क) ऐसी कुटुंब आय जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया आस-पास में निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख;

(ख) सरकारी और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं और केन्द्रों के सभी भागों में बाधा रहित पहुंच;

(ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विकता।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और निःशक्तता की घटनाओं को रोकने के लिए और उक्त प्रयोजनों के लिए उपाय करेंगे और स्कीम और कार्यक्रम बनाएंगे और निम्नलिखित करेंगे,—

(क) निःशक्तता की घटनाओं के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;

(ख) निःशक्तता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;

(ग) "जोखिम के" मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करना;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ङ) प्रायोजित जागरुकता अभियान और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना या प्रायोजित करना या कराना;

(च) माता और बालक की प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् देख-रेख के लिए उपाय करना;

(छ) पूर्वस्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना;

(ज) निःशक्तता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियो और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरुकता उत्पन्न करना;

(झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख-रेख;

(ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं; और

(ट) विशेषतया निःशक्त स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख-रेख।

बीमा स्कीमें।

26. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीमें बनाएगी।

पुनर्वास।

27. (1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशिष्टतया स्वास्थ्य, शिक्षा और नियोजन के क्षेत्रों में उनकी आर्थिक हैसियत और विकास के भीतर सेवाओं और पुनर्वास के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेंगे या जिम्मेवारी दिलाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे।

(3) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी पुनर्वास स्कीम पुनर्वास नीतियों की विरचना के समय निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करेंगे।

अनुसंधान और विकास।

28. समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी।

संस्कृति और आमोद-प्रमोद।

29. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सभी निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के साथ समान आमोद-प्रमोद गतिविधियों में भागीदारी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, के उपाय करेंगे,—

(क) निःशक्त कलाकारों और लेखकों को उनकी अभिरुचि और प्रतिभा के अनुसार सुविधा, सहायता और प्रायोजन;

(ख) निःशक्तता एतिहासिक संग्रहालय की स्थापना जो निःशक्त व्यक्तियों के एतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और निर्वचन करते हैं;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों तक कला को सुगम बनाना;

(घ) आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना;

(ङ) बालचर, नृत्य, कला कक्षाएं, बाहरी कैंप और रोमांचक गतिविधियों में भागीदारी को सुकर बनाना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनःविन्यास करना;

(छ) आमोद-प्रमोद गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी विकास, सहायक युक्तियां और साधनों का विकास करना; और

(ज) सुनिश्चित करना कि श्रवणशक्ति के ह्रास के व्यक्ति सांकेतिक भाषांतरण या उपशीर्षक सहित टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच कर सकें।

खेलकूद गतिविधियां।

30. (1) समुचित सरकार निःशक्त व्यक्तियों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।

(2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सम्यक् मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संवर्धन और विकास के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक् उपबंध करेंगे।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेंगे,—

(क) सभी खेलकूद गतिविधियों में निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच, समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनर्संरचना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पुनःविन्यास और समर्थन;

(ग) सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए संभावित, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास;

(घ) सभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कला, खेलकूद सुविधाओं हेतु राज्य के विकास के लिए निधियों का आबंटन करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्तता विनिर्दिष्ट खेलकूद घटनाओं को संवर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार को सुकर बनाना।

अध्याय 6

संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

संदर्भित निःशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा।

31. (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक का संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक का निकटवर्ती विद्यालय या किसी विशेष विद्यालय में उसकी पसंद की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। 2009 का 35

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित निःशक्त प्रत्येक बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुंच हो।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण।

32. (1) सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य शिक्षा संस्थान संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेंगे।

(2) उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी।

आरक्षण के लिए पदों की पहचान।

33. समुचित सरकार,—

(i) स्थापन में ऐसे पदों की पहचान करेगी जिन्हें धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में आरक्षित रिक्तियों की बाबत संदर्भित निशःक्त व्यक्तियों के संबंधित प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारण किया जा सकता है।

(ii) ऐसे पदों की पहचान करने के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

(iii) पहचाने गए पदों का तीन वर्ष से अनधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करना।

आरक्षण।

34. (1) प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्त के लिए संदर्भित निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत से अन्यून निम्नलिखित संदर्भित निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित करेगी,—",।

(क) अंध और निम्न दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास;

(ग) चलन निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ बौनापन और पेशीय दुष्पोषण भी है;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ङ) खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए पहचान किए गए पदों में बधिर, अंधता भी है :

परन्तु यह कि प्रोन्नति में आरक्षण समय–समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगा:

परंतु यह और कि समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से किसी सरकारी स्थापन में कार्य करने के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सरकारी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की गणना कुल काडर पद संख्या के पांच प्रतिशत पर प्रगणित होगी।

(2) जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की गैर-उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रनीत होगी और यदि पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो यह पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा पहले

हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में पद के लिए निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है नियोक्ता किसी निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्ति द्वारा भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्तियों के दिए गए प्रवर्गों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।

(3) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसा शिथिलकरण प्रदान कर सकेगी जैसा वह ठीक समझें।

प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन।

35. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत संदर्भित निःशक्त व्यक्ति हैं, प्राइवेट सेक्टरों में नियोजक को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

विशेष रोजगार कार्यालय।

36. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, प्रत्येक स्थापन में नियोजक संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए नियत ऐसी रिक्तियों के संबंध में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए जो उस स्थापन में हुई है या होने वाली है, ऐसा विशेष रोजगार कार्यालय को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी जानकारी या विवरणी भेजेगी और स्थापन उस पर ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा।

विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम।

37. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संदर्भित निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में स्कीमें अधिसूचना द्वारा यह उपबंध करने के लिए बनाएंगे—

(क) संदर्भित निःशक्त स्त्रियों की समुचित पूर्विकता के साथ सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासन के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ख) संदर्भित निःशक्त स्त्रियों की पूर्विकता के साथ सभी निर्धनता उपशमन और विभिन्न विकासशील स्कीमों में पांच प्रतिशत आरक्षण;

(ग) रियायती दर पर भूमि के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण जहां ऐसी भूमि का उपयोग, आवासन, आश्रय, उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केंद्रों के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

अध्याय 7

अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध

अधिक सहारे वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध।

38. (1) संदर्भित निःशक्त कोई व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे की आवश्यक्ता समझता है या उसके निमित्त कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) निर्धारण बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले का ऐसी रीति में निर्धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहारे की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित्त समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहारा प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

अध्याय 8

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

जागरूकता अभियान।

39. (1) समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके इस अधिनियम के अधीन निःशक्त व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरुकता अभियानों और सुग्राह्यता का संचालन, प्रोत्साहन, सहारा या संवर्धन करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यक्रम और अभियान निम्नलिखित भी करेंगे—

(क) सहनशीलता, सहानुभूति के समावेशन के मूल्यों का संवर्धन और विविधता के लिए आदर;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के कौशल, गुणों और योग्यताओं की अग्रिम पहचान और कार्यबल, श्रम बाजार में उनका योगदान और वृत्तिक फीस;

(ग) पारिवारिक जीवन, नातेदारियों, बालकों के वहन और पालन-पोषण से संबंधित सभी विषयों पर निःशक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए विनिश्चयों के लिए आदर का पोषण;

(घ) निःशक्तता की मानवीय दशा पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और वृत्तिक प्रशिक्षण स्तर पर पूर्वाभिमुखीकरण करना और सुग्राही बनाना तथा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार ;

(ङ) निःशक्तता की दशाओं पर पूर्वाभिमुखीकरण और सुग्राह्यता और नियोजकों, प्रशासकों और सहकर्मियों के प्रति निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार सम्मिलित हैं।

पहुंच।

40. केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई सुविधाएं और सेवाओं सहित भौतिक पर्यावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचना के लिए पहुंच के मानकों को अधिकथित करते हुए निःशक्त व्यक्तियों के लिए विनियम विरचित करेगा।

परिवहन तक पहुंच।

41. (1) समुचित सरकार, यह उपबंध करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी—

(क) बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना जो पार्किंग स्थलों, प्रसाधनों, टिकट पटलों और टिकट मशीनों से संबंधित पहुंच के मानकों को पूरा करते हों;

(ख) परिवहन के सभी ढंगों तक पहुंच प्रदान करना जो परिवहन के पश्च फिटिंग पुराने ढंगों सहित डिजाइन मानकों के अनुरूप हों, जब कभी वे निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिक रूप से संभाव्य और सुरक्षित हों, आर्थिक रूप में व्यवहार्य हों और डिजाइन में मुख्य संरचना के परिवर्तन में भार डाले बिना हों;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों की गतिशील आवश्यकताओं के समाधान के लिए पहुंच योग्य सड़कें।

(2) समुचित सरकार निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए निर्वाह योग्य लागत पर निःशक्त व्यक्तियों की वैयक्तिक गतिशीलता के संवर्धन के लिए स्कीमों, कार्यक्रमों को विकसित करेगी—

(क) प्रोत्साहन और रियायतें;

(ख) वाहनों की पश्च फिटिंग; और

(ग) वैयक्तिक गतिशील सहायता।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

42. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि—

(i) श्रवण, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उपलब्ध सभी अंतर्वस्तु पहुंच योग्य फार्मेट में हैं;

(ii) श्रवण वर्णन, हस्ताक्षर भाषा, निर्वचन और निकट शीर्षक प्रदान करके निःशक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक मीडिया तक पहुंच;

(iii) इलैक्ट्रानिक माल और उपस्कर जो प्रतिदिन उपयोग के लिए सर्वव्यापी डिजाइन में उपलब्ध कराए जाने के साधन हैं।

उपभोक्ता माल।

43. समुचित सरकार सर्वव्यापी रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों के विकास, उत्पादन और वितरण और निःशक्त व्यक्तियों के साधारण उपयोग के लिए उपसाधनों के संवर्धन हेतु उपाय करेगी।

पहुंच के सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन।

44. (1) किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना, धारा 39 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों से संसक्त नहीं है।

(2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक यह केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों से संसक्त नहीं रहता है।

विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय-सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कार्यवाही।

45. (1) ऐसे विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान सार्वजनिक भवन सुगम्य बनाए जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार राज्यों को इस उपबंध की संसक्तता के लिए मामला दर मामला आधार पर उनकी तैयारी की अवस्था और अन्य संबंधित पैमानों पर निर्भर रहते हुए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उनके सभी भवनों और स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल/जिला अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों जैसी सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हुए, पहुंच प्रदान करने के लिए पूर्विकता पर आधारित कार्ययोजना विरचित और प्रकाशित करेंगे।

सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय-सीमा।

46. सेवा प्रदाता चाहे सरकार या प्राइवेट केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 39 के अधीन पहुंच पर विरचित नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सेवाएं प्रदान करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के परामर्श से उक्त विनियमों के अनुसार सेवाओं का कतिपय प्रवर्ग प्रदान करने के लिए समय का विस्तार मंजूर कर सकेगी।''।

मानव संसाधन विकास।

47. (1) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् के किसी कृत्य और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित

1992 का 34

सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन का विकास करने के लिए प्रयास करेगी और अन्ततः निम्नलिखित करेगी—

(क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस पदधारियों, न्यायाधीशों, वकीलों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रमों में निःशक्तता के अधिकारों पर आज्ञापक प्रशिक्षण;

(ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कार्मिक, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुविदों, अन्य वृत्तिक और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए संघटक के रूप में निःशक्तता का प्रवेश;

(ग) स्वतंत्र जीवन में प्रशिक्षण और परिवारों के लिए सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों और अन्य पण्यधारकों और देख-रेख और सहारा पर देख-रेख प्रदाता सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना;

(घ) पारस्परिक योगदान और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) क्रीड़ा, खेलकूद, रोमांचकारी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ क्रीड़ा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना;

(च) कोई अन्य क्षमता विकास के उपाय, जो आवश्यक हों।

(2) सभी विश्वविद्यालय ऐसे अध्ययनों के लिए अध्ययन केंद्रो की स्थापना सहित निःशक्तता संबंधी अध्ययनों में शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करेंगे।

(3) उपधारा (1) में कथित बाध्यता को पूरा करने के लिए, समुचित सरकार प्रत्येक पांच वर्ष में आवश्यकता आधारित विश्लेषण का उपक्रम करेंगी और भर्ती, प्रवेश, सुग्राह्यता पूर्वभिमुखीकरण और इस अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं विरचित करेगी।

सामाजिक लेखा परीक्षा।

48. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम और कार्यक्रम निःशक्त व्यक्तियों और संबद्ध निःशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता और अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, निःशक्त व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए सभी साधारण स्कीमों और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जिम्मेवारी लेगी।

अध्याय 9

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

सक्षम प्राधिकारी।

49. राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे।

रजिस्ट्रीकरण।

50. इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति निःशक्त व्यक्तियों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं :

परंतु मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की देख-रेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 8 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

1987 का 14

आवेदन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी।

51. (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार पालन किया है, वह आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और यदि उसका समाधान नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा किए गए आवेदन प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार कर देगा :

परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा और प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित में ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, संसूचित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, को पूरा करने की स्थिति में न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—

(क) जब तक धारा 51 के अधीन प्रतिसंहृत नहीं होता ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रवृत्त बना रहेगा;

(ख) वैसी ही अवधि के लिए समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा; और

(ग) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के कम से कम साठ दिन पूर्व किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति, संस्था द्वारा सहजदृश्य स्थान पर दर्शित की जाएगी।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।

52. (1) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका विश्वास करने का यह कारण है कि धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक ने—

(क) प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कथन किया है जो गलत है या तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; और

(ख) नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया है या भंग करवाया है जिनके अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था,

वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणपत्र के धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत क्यों न कर दिया जाए।

(2) जहां किसी संस्था के संबंध में उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया गया है वहां ऐसी संस्था, ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख से कृत्य करना बन्द कर देगी :

परन्तु जहां प्रतिसंहरण आदेश के विरुद्ध धारा 52 के अधीन कोई अपील होती है, वहां ऐसी संस्था निम्नलिखित दशाओं में कृत्य करना बन्द कर देगी,—

(क) जहां ऐसी अपील फाइल करने के लिए विहित अवधि के अवसान के तुरन्त पश्चात् अपील नहीं की गई है; या

(ख) जहां ऐसी कोई अपील की गई है, किन्तु अपील के आदेश की तारीख से प्रतिसंहरण आदेश को मान्य ठहराया गया है।

(3) किसी संस्था की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण पर, सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि कोई निःशक्त व्यक्ति जो ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को, ऐसी संस्था में सहवासी है,—

(क) यथास्थिति, उसे उसके अभिभावक, पति या पत्नी या विधिक संरक्षक की अभिरक्षा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक संस्था, जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण करता है जिसका इस धारा के अधीन प्रतिसंहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण के तुरंत पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगी।

अपील।

53. (1) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करने या प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए, अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को लागू न होना।

54. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी।

रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सहायता।

55. समुचित सरकार उसकी आर्थिक हैसियत और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

अध्याय 10

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं का प्रमाणन

विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

56. केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट निःशक्तता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करेगी।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान।

57. (1) समुचित सरकार अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेगी, जो निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।

(2) समुचित सरकार उस अधिकारिता को और उन निबंधनों और शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने प्रमाणकारी कृत्यों का अनुपालन करेगा।

प्रमाणन की प्रक्रिया।

58. (1) कोई विनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निःशक्तता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, धारा 55 के अधीन अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की निःशक्तता का निर्धारण करेगा और, यथास्थिति, ऐसे निर्धारण के पश्चात्—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, निःशक्तता का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ख) उसे लिखित में सूचित करेगा कि उसको कोई विनिर्दिष्ट निःशक्तता नहीं है।

(3) इस धारा के अधीन जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील।

59. (1) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा पदाभिहित ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) किसी अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपील का ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विनिश्चय करेगा।

अध्याय 11

निःशक्तता पर केन्द्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन।

60. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।

(2) केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) केंद्रीय सरकार के निःशक्तता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री — पदेन अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार के निःशक्तता कार्य मंत्रालय में निःशक्तता कार्य विभाग से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्री—पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो का चयन लोक सभा द्वारा और एक का चयन राज्य सभा द्वारा किया जाएगा;

(घ) सभी राज्यों के निःशक्तता कार्य के प्रभारी मंत्री और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक/उपराज्यपाल—पदेन सदस्य;

(ङ) निःशक्तता कार्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक सचिव, भारत सरकार—पदेन सदस्य;

(च) सचिव, नीति आयोग—पदेन सदस्य;

(छ) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद्—पदेन सदस्य;

(ज) अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, स्वपरायणता, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता कल्याण न्यास—पदेन सदस्य;

(झ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम—पदेन सदस्य;

(ञ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम—पदेन सदस्य;

(ट) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—पदेन सदस्य;

(ठ) महानिदेशक, नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्रालय—पदेन सदस्य;

(ड) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—पदेन सदस्य;

(ढ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्—पदेन सदस्य;

(ण) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—पदेन सदस्य;

(त) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्—पदेन सदस्य;

(थ) निम्नलिखित संस्थानों के निदेशक—पदेन सदस्य होंगे,—

(i) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून;

(ii) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद;

(iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली;

(iv) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, मुम्बई;

(v) राष्ट्रीय विकलांग असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थान, कोलकाता;

(vi) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक;

(vii) राष्ट्रीय बहु निःशक्त व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई;

(viii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्थान, बैंगलोर;

(ix) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली;

(द) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य,—

(i) पांच व्यक्ति जो निःशक्तता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) निःशक्तता से संबंधित गैर सरकारी संगठनों या निःशक्त व्यक्ति संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो निःशक्त व्यक्ति हों :

परंतु नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iii) वाणिज्य और उद्योग के राष्ट्रीय स्तर के चैम्बरों में से तीन प्रतिनिधि तक;

(ध) निःशक्तता नीति के विषय से संबंधित भारत सरकार का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य—सचिव।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

61. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता है।

(2) केन्द्रीय सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (द) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

निरर्हता।

62. (1) कोई व्यक्ति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो,—

(क) दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) वह सिद्धदोष है या उसे इस अधिनियम के अधीन किसी समय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जो उसके पद पर बने रहने को साधारण जनता के हितों के प्रतिकूल ठहराता है।

(2) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने का तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान किया जाता है।

(3) धारा 61 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पद से हटाया गया कोई सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

63. यदि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, धारा 62 में विनिर्दिष्ट निरर्हता के अधीन हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

64. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाए। निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

65. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड, निःशक्तता विषयों पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा और निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा। निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को निःशक्तता के बारे में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना;

(ग) सरकारी और अन्य गैर सरकारी संगठन, जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों से संबंधित हैं, के कार्यकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वयन करना;

(घ) राष्ट्रीय योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के मामलों को लेना;

(ङ) सूचना, सेवाओं के मुकाबले निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच, युक्तियुक्त वास और भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए और उसके लिए वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाए।

66. (1) प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य सरकार के निःशक्तता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री—अध्यक्ष पदेन;

(ख) राज्य सरकार के निःशक्तता मामलों से संबंधित विभाग यदि कोई है, का प्रभारी राज्य मंत्री या उपमंत्री—उपाध्यक्ष पदेन;

(ग) निःशक्तता कार्य, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उद्यम, युवा कार्य और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे, के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव—पदेन सदस्य;

(घ) राज्य विधान-मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो का चयन विधान सभा द्वारा और एक सदस्य का चयन विधान परिषद्, यदि कोई हो, द्वारा किया जाएगा और जहां कोई विधान परिषद् नहीं है, वहां तीनों सदस्यों का चयन विधान सभा द्वारा किया जाएगा,—सदस्य पदेन;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य—

(i) पांच सदस्य जो निःशक्तता और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं;

(ii) जिलों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य:

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई नामनिर्देशन सिवाय संबंधित जिला प्रशासन की सिफारिश के नहीं किया जाएगा;

(iii) गैर सरकारी संगठनों या संगमों जो निःशक्तता से संबद्ध है का प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे दस व्यक्ति, जो निःशक्त व्यक्ति हों :

परंतु इस खंड के अधीन नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा;

(iv) वाणिज्य और उद्योग के राज्य चैम्बरों में से तीन से अनधिक प्रतिनिधि;

(च) राज्य सरकार में निःशक्तता विषयों से संबंधित विभाग में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो — पदेन सदस्य—सचिव।

सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

67. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परंतु ऐसा सदस्य उसकी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती पद धारण नहीं कर लेता है।

(2) राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसे हेतुक उपदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटा सकेगी।

(3) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तत्पश्चात् उक्त सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(4) राज्य सलाहकार बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(5) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (i) या उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

निरर्हता।

68. (1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो—

(क) दिवालिया है या जिसे किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित किया है या अपने लेनदारों के साथ उपशमन किया है, या

(ख) विकृतचित्त है या उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) उसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(घ) वह सिद्धदोष है या उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ङ) उसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जो उसके राज्य सलाहकार बोर्ड में बने रहना साधारण जनता के हितों के लिए हानिकर है।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने का तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को, उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(3) धारा 67 की उपधारा (1) या उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई सदस्य, जो हटाया गया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

स्थानों का रिक्त होना।

69. यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य धारा 68 में विनिर्दिष्ट निरर्हता के अधीन हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड की बैठकें।

70. राज्य सलाहकार बोर्ड प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के कृत्य।

71. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सलाहकार बोर्ड निःशक्तता मामलों पर एक राज्यस्तरीय परामर्शदाता और सलाहकार निकाय होगा तथा निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए समग्र नीति के सतत् विकास को सुकर बनाएगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निःशक्तता सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार को निःशक्तता की बाबत नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाओं पर सलाह देना;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक राज्य नीति का विकास करना;

(ग) राज्य सरकार के सभी विभाग और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों को बरत रहे हैं, के कार्यकलापों का पुनरीक्षण और समन्वयन करना;

(घ) राज्य योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीमों और परियोजनाओं का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के मामलों को उठाना;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच, युक्तियुक्त रूप से वास, भेदभावहीनता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना और वातावरण तैयार करना तथा अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी करना;

(च) निःशक्त व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए विधियों, नीतियों और डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरी और मूल्यांकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

निःशक्तता पर जिला स्तर समिति।

72. राज्य सरकार, ऐसे कृत्य जो विहित किए जाएं, का पालन करने के लिए निःशक्तता पर जिला स्तर समितियों का गठन करेगी।

रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

73. निःशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला स्तर निःशक्तता समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या गठन में कोई त्रुटि है।

अध्याय 12

निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति।

74. (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मुख्य आयुक्त" कहा गया है) नियुक्त कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा दो आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी, जिनमें से एक आयुक्त निःशक्त व्यक्ति होगा।

(3) कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(4) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदें हैं) वे होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(5) केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रवर्गों का अवधारण करेगी और मुख्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(6) मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(7) अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें वें होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(8) मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न निःशक्ताओं के क्षेत्र से ग्यारह से अन्यून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।"।

"75. (1) मुख्य आयुक्त,—

मुख्य आयुक्त के कृत्य।

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायो की जांच करेगा जिनके लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा, जो निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा;

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरुकता का संवर्धन करेगा;

(ज) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित इस अधिनियम और स्कीमों, कार्यक्रमों के उपबंधों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा;

(झ) निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करेगा; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

(2) मुख्य आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी विषय पर आयुक्तों से परामर्श करेगा।"।

"76. जब भी मुख्य आयुक्त धारा 74 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से मुख्य आयुक्त को सूचित करेगाः

मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

परंतु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों को तीन मास की कालावधि के भीतर मुख्य आयुक्त को बताएगा और व्यथित व्यक्तियों को भी सूचित करेगा।"।

"77. (1) मुख्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वहीं शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

मुख्य आयुक्त की शक्तियां।

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे हाजिर कराना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(ङ) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को धारा 195 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।"।

मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है।

"78. (1) मुख्य आयुक्त केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो उसकी राय में ऐसी अत्यावश्यकता या महत्ता का है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार मुख्य आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, पर एक ज्ञापन के साथ रखेगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।"।

राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति।

"79. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए एक राज्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "राज्य आयुक्त" कहा गया है) नियुक्त करेगी।

(2) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव न हो।

(3) राज्य आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदें हैं) वे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार राज्य आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति तथा प्रवर्गों का अवधारण करेगी और राज्य आयुक्त को उतने ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(5) राज्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी राज्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(6) अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें वें होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(7) राज्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो विभिन्न निःशक्ताओं के क्षेत्र से पांच से अन्यून सदस्यों से ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मिलकर बनेगी।"।

राज्य आयुक्त के कृत्य।

"80. राज्य आयुक्त,—

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ख) स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा;

(ग) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ) उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा;

(च) निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा।

(छ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित इस अधिनियम और स्कीमों, कार्यक्रमों के उपबंधों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा;

(ज) निःशक्त व्यक्तियों के फायदें के लिए राज्य सरकार द्वारा वितरित निधियों के उपयोजन की मानीटरी करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

राज्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई।

"**81.** जब भी राज्य आयुक्त धारा 79 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त न होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से राज्य आयुक्त को सूचित करेगा:

परंतु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों को तीन मास की कालावधि के भीतर राज्य आयुक्त को बताएगा और व्यथित व्यक्ति को भी सूचित करेगा।"।

राज्य आयुक्त की शक्तियां।

"**82.** राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे हाजिर कराना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(ङ) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) राज्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को धारा 195 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।"।

राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्टें।

"83. (1) राज्य आयुक्त राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी विषय पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, जो उसकी राय में ऐसी अत्यावश्यकता या महत्ता का है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार राजय आयुक्त की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, पर एक ज्ञापन के साथ रखेगी।

(3) वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को ऐसे प्ररूप और नीति में तैयार किया जाएगा तथा उनमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।"।

अध्याय 13

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालय।

84. त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

विशेष लोक अभियोजक।

85. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ऐसी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 14

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि।

86. (1) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा—

(क) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 573(अ), तारीख 11 अगस्त, 1983 द्वारा गठित निःशक्त व्यक्तियों के लिए निधि के अधीन उपलब्ध रकम और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचना सं॰ का॰अ॰ 30-03/2004-डीडी2, तारीख 21 नवंबर, 2006 द्वारा गठित निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि; 1890 का 6

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की 2000 की सिविल अपील सं. 4655 और 5218 में तारीख 16 अप्रैल, 2004 के निर्णय के अनुसरण में बैंकों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदेय सभी राशियां;

(ग) अनुदान, दानों, संदानों, धर्मदानों वसीयत या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां;

(घ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान भी है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले अन्य स्रोतों से सभी राशियां।

(2) निःशक्त व्यक्तियों के लिए निधि का उपयोग और प्रबंधन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

लेखा और लेखा-परीक्षा।

87. (1) केन्द्रीय सरकार, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगी और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए निधि के लेखाओं का वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखा भी है, तैयार करेगी।

(2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षित किए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय निधि से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निधि के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त होते हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संपृक्त वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 15

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि

निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि।

88. (1) राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, गठन किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए निधि, जिसके अंतर्गत आय और व्यय लेखे भी हैं, के उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसी रीति में रखेगी, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के महालेखा नियंत्रण और परीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं।

(4) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर लेखापरीक्षा की जाएगी, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय का संदाय राज्य निधि से भारत के महालेखा नियंत्रण और परीक्षक को किया जाएगा।

(5) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक और निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के हैं और विशेष रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबंद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज–पत्र पेश करने की मांग करने तथा संस्थान और उसके द्वारा स्थापित तथा चलाई जा रही संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(6) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक या निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन को, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान मंडल में एक सदन है, उस सदन को भेजे जाएंगे।

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

89. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

90. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनाएगी; यदि वह यह साबित करता है कि अपराध को उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड।

91. जो कोई कपटपूर्वक किसी संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आशयित किसी फायदे का लाभ उठाता है या लाभ उठाने का प्रयत्न करता है वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड।

92. जो कोई—

(क) किसी स्थान में निःशक्त व्यक्ति को जनता की निगाह में आशयित रूप से अपमानित करता है या अपमान करने के आशय से भयभीत करता है;

(ख) उसे अवमान के आशय से किसी निःशक्त व्यक्ति पर हमला करता है या बल प्रयोग करता है या निःशक्त महिला की शालीनता का घोर अपमान करता है;

(ग) निःशक्त व्यक्ति के ऊपर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखता है, स्वैच्छिक रूप से या जानते हुए उसे भोजन या तरल पदार्थ देने से मना करता है;

(घ) निःशक्त बालक या महिला की इच्छा पर प्रभुत्व स्थिति में होते हुए और लैंगिक रूप से शोषण करने के लिए उस प्रास्थिति का उपयोग करता है;

(ङ) निःशक्त व्यक्ति के किसी अंग या इंद्रिय या समर्थक युक्ति के उपयोग को स्वैच्छिक रूप से क्षति पहुंचाता है, हानि करता है या दखल देता है;

(च) किसी निःशक्त महिला पर किए जाने के लिए किसी चिकित्सीय प्रक्रिया को पूरा करता है, संचालन करता है या निदेश करता है जिससे उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होती है या समाप्त होने की संभावना है, सिवाय उन मामलों में जहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय में और निःशक्त महिला के संरक्षण की सहमति से भी निःशक्तता के गंभीर मामलों में गर्भावस्था के समापन के लिए चिकित्सीय प्रक्रिया की गई है,

छह मास से कम की अन्यून अवधि के लिए कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड।

93. जो कोई पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में या कोई विवरणी, जानकारी या विशिष्टियां जो इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश, या निदेश के अधीन इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश के उपबंधों के अनुसरण में प्रस्तुत करने या देने या किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है, को पेश करने में असफल रहता है वह प्रत्येक अपराध की बाबत जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और लगातार असफलता या इंकार के मामले में अतिरिक्त जुर्माने से जो जुर्माने के दंड के अधिरोपण के मूल आदेश की तारीख के पश्चात् लगातार असफलता या इंकार के लिए प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।

समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन।

94. कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस निमित्त इस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद के सिवाय, इस अध्याय के अधीन समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

अनुकल्पी दंड।

95. जहां इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियम के भी अधीन कोई कार्य या लोप किसी अपराध को गठित करता है तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के अधीन, जो ऐसे दंड के लिए उपबंध करता है, जो कि डिग्री में अधिक है, केवल दंड के लिए भागी होगा।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना।

96. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

97. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के किसी अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं की जाएंगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

98. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष तक की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

99. (1) समुचित सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर या अन्यथा केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और जारी ऐसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना यथाशीघ्र इसके जारी होने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

100. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन निःशक्तता अनुसंधान के लिए समिति के गठन की रीति;

(ख) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन समान अवसर नीति अधिसूचित करने की रीति;

(ग) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक स्थापन द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण का प्ररूप और रीति;

(घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत अनुतोष अधिकारी द्वारा शिकायतों के रजिस्टर की अनुरक्षण की रीति;

(ङ) धारा 36 के अधीन विशेष रोजगार कार्यालय के लिए स्थापन द्वारा जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करने की रीति;

(च) धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण बोर्ड की संरचना और उपधारा (3) के अधीन निर्धारण बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निर्धारण की रीति;

(छ) धारा 39 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच के लिये मानक अभिकथित करने के लिए नियम;

(ज) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन निःशक्तता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन की रीति और उपधारा (2) के अधीन निःशक्तता के प्रमाणपत्र का प्ररूप;